

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज सप्लाई विविध प्रकरण सं. 03/2017 प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, जोधपुर बनाम सोहन लाल पुत्र मीठालाल												
26-03-18	<p>पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अभिभाषक अनुपस्थित। संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि राज्य सरकार जरिये प्रवर्तक निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय जोधपुर की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 6 –ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सहपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस वितरण व प्रदाय नियंत्रण आदेश के तहत अप्रार्थी सोहन लाल पुत्र मीठालाल, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर के सोहनलाल पुत्र मीठा लाल के ढाबे पर मिठाई, कचौरी और अन्य खाद्य उत्पाद हेतु घरेलू गैस सिलेण्डर से बना रहे थे के विरुद्ध पेश किया है जिसमें यह व्यक्त किया है कि दिनांक 03.05.2017 को रसोई गैस कालाबाजारी तथा घरेलू गैस का वाणिज्यिक प्रयोग में लेने के क्रम में सोहनलाल के ढाबे निरीक्षण किया मौका पर ताजाराम मालिक के तौर पर उपस्थित मिला मौतबिरान् के रूबरू जांच कि गई एवं पाया कि घरेलू सिलेण्डर (16.1) भराव क्षमता का उपयोग अवैध परिवहन एवं संग्रह किया जा रहा था। गैस सिलेण्डर उपयोग लेते पाये गये।</p> <table border="1" data-bbox="402 1507 1399 1677"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th> <th>सिलेण्डर नं.</th> <th>कम्पनी का नाम</th> <th>सिलेण्डर पर अंकित वजन</th> <th>सिलेण्डर का वजन</th> <th>गैस का वजन</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>020321</td> <td>एच.पी.</td> <td>16.1</td> <td>23.9</td> <td>7.8</td> </tr> </tbody> </table> <p>इस प्रकार घरेलू गैस का संग्रह कर वाणिज्यिक प्रयोग पाये जाने पर उपरोक्त वर्णित सिलेण्डर 020321 घरेलू गैस सिलेण्डर को जब्त किया सरकार किया जाकर कुवंरराज सिंह पुत्र सुमरे सिंह फर्म गिरीराज गैस सर्विस, शेरगढ़, जोधपुर को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डर का संग्रह कर वाणिज्यिक कार्य में प्रयोग किया जाना पाया गया जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनिमयन) आदेश 2000 की धारा 3बी, 4, 5, 6 की स्पष्ट अवहेलना की गई है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 दण्डनीय अपराध है।</p>	क्र. सं.	सिलेण्डर नं.	कम्पनी का नाम	सिलेण्डर पर अंकित वजन	सिलेण्डर का वजन	गैस का वजन	01	020321	एच.पी.	16.1	23.9	7.8
क्र. सं.	सिलेण्डर नं.	कम्पनी का नाम	सिलेण्डर पर अंकित वजन	सिलेण्डर का वजन	गैस का वजन								
01	020321	एच.पी.	16.1	23.9	7.8								

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को नोटिस अन्तर्गत धारा 6 बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का जारी किया जो विधिवत तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक सिद्धार्थ कड़वासरा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया और आज दिनांक तक नोटिस का प्रत्युत्तर नहीं दिया। अतः इस प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा वक्त निरीक्षण के दौरान जब्तसुदा एक गैस सिलेण्डर एच.पी. कम्पनी का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ के काम में लिया जा रहा था। अप्रार्थी सोहनलाल से पुछने पर कोई सन्तोषजनक जबाब नहीं दिया, ना ही सोहनलाल

किसी प्राधिकृत ऑयल कम्पनी का डिलर है। इस प्रकार घरेलू गैस का संग्रह कर वाणिज्यिक कार्य उपयोग में लिया जाना पाया गया जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, और वितरण विनिमयन) आदेश 2000 की धारा 3बी, 4, 5, 6 की स्पष्ट अवहेलना की गई जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से विभागीय कार्यवाही से सहमत होते हुए जब्तसुदा 01 गैस सिलेण्डर एच.पी. कम्पनी गैस सिलेण्डर मय गैस को राज्यसात (Confiscate) किये जाने का आदेश किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, जोधपुर को निर्देश है कि वह उक्त सिलेण्डर को संबंधित गैस एजेन्सी में जमा करावें तथा उनसे प्राप्त राशि राज्य कोष में जमा करायी जाये आदेश की एक प्रति संबंधित को पालनार्थ प्रेषित हो।

